

दानह में मतदाता सूची में नाम शामिल करने एवं सुधार प्रक्रिया शुरू

सिलवासा 05 नवंबर। दादरा नगर हवेली में मतदाता सूची में नाम शामिल करने एवं सुधार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दानह मतदाता पंजीकरण अधिकारी वेदप्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि जो भी नागरिक सामान्यतः दादरा एवं नगर हवेली का निवासी है एवं जिसकी आयु 18 वर्ष से अथवा इससे अधिक है और अभी तक जिन्होंने दानह मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण नहीं करवाया है तो ऐसे व्यक्ति अपने निकटतम सरकारी प्राथमिक स्कूल सिलवासा (झंडा

■ दानह मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने वेदप्रकाश ने लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की

चौक), नरोली, दादरा, खानवेल, दपाडा, अंबोली, मांदोनी, दुधनी, किलवणी, रांधा एवं सामरवरणी में 10 नवंबर तक कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10 से शाम 5 बजे) निर्धारित फार्म (6,7,8,8ए) भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दादरा एवं नगर हवेली के प्रत्येक नागरिक से यह भी अनुरोध किया जाता है कि जिस मतदाता की मृत्यु हुई है अथवा मतदाता का पता बदल गया है उनका नाम मतदाता सूची में

से कटवाने के लिए निर्धारित फार्म भरकर जमा करावें। इसके अतिरिक्त जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में से किसी कारणवश कट गया हो, वह नागरिक भी फार्म 6 भरकर पुनः अपने बूथ लेवल अधिकारी को जमा करवाये। मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 एवं कार्यालय की वेबसाइट <http://ceodnh.nic.in/searchelctor/search.asp> का उपयोग कर सकते हैं।

सिलवासा नगरपालिका ने चलाया सफाई अभियान

■ दानह कलेक्टर ने एसएमसी सफाईकर्मियों के साथ बैठक में ठीक से ड्यूटी करने पर सस्पेंड करने का दिया निर्देश



सिलवासा। द्वादरा नगर हवेली जिला कलेक्टर जी. एस. मोणा के सख्त निर्देश पर सिलवासा में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज सिलवासा नगरपालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया

गया। जिसमें शहीद चौक से आमली फाउंटेन तक विस्तार में साफ-सफाई की गई। जिला कलेक्टर जी. एस. मोणा ने नगरपालिका में काम कर रहे सभी सफाईकर्मियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान कलेक्टर

ने सफाई बावत चर्चा करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि यदि वे ठीक से ड्यूटी नहीं करेंगे तो उन्हें सस्पेंड किया जावेगा। नगरपालिका चीफ ऑफिसर नितिन जिंदल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है।

सिलवासा में बिना हेलमेट वाले वाहनों चालकों के खिलाफ कार्यवाही जारी



सिलवासा 05 नवंबर। सिलवासा में ट्राफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट वाले दो पहिये वाहनों चालकों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद भी कुछ दो पहिये वाहन चालक बिना हेलमेट बेधड़क सड़क पर वाहन चला रहे हैं। सिलवासा में लगभग 75 प्रतिशत दो पहिये वाहन चालक हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं जबकि 25 प्रतिशत ही वाहन चालक बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्राफिक विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान से सभी लोग अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाकर वाहन चलाते नजर आयेंगे। आज भी ट्राफिक पुलिस ने ट्राफिक नियम का उल्लंघन करने वाले लगभग 100 वाहन चालकों के चालान काटे गये।